FORM NO 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत:– विशिष्ट न्यायाधीश, एससी/एसटी प्रकरण हनुमानगढ़

हेतराम बनाम मांगीलाल व अन्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–105/2024, पुलिस थाना–फेफाना, एफ.आर. सं.–34/2025 (सी.आई.एस. सं.–34/2025), सी.एन.आर. सं.**RJHG06000982025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
01.06.2026	अधिवक्ता परिवादी उपस्थित। विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी हेतराम ने मार्फत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस थाना फेफाना में दिनांक 24.06.2024 को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी के दो पुत्र संतान थी जिनकी अकाल मृत्यु हो गई। अब प्रार्थी अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहा है। प्रार्थी के घर के आगे सार्वजनिक सड़क जो रतनपुरा को जाती है उस सड़क के पास सार्वजनिक नाला है जिस पर पुलिया बनी हुई है। प्रार्थी दिनांक 15.06.2024 को वक्त करीब सुबह 6 बजे अपने घर के आगे बनी उस पुलिया पर बैठा हुआ था तभी आरोपी मांगीलाल व उसका भाई पालाराम दोनो एक राय होकर आए और प्रार्थी से कहा कि तुम्हारे घर के आगे पुलिया पर क्यों बैठे हो, जिस पर प्रार्थी ने कहा कि यह सार्वजनिक चौगान पर बनी हुई है। इतना कहते ही दोनो आरोपीगण तैस में आ गए और साले रूंगे नायकड़े तुझे इस पुलिया पर नहीं बैठने देंगे ऐसा कहकर दोनो आरोपीगण प्रार्थी के साथ थप्पड़ मुक्कों से मारपीट करने लगे। प्रार्थी ने रौला मचाया तो मौका पर प्रार्थी की पत्नी मीरा भाग कर आई और प्रार्थी को बचाने लगी तो आरोपी मांगीलाल ने प्रार्थी की पत्नी को जान से मारने की नियत से गला दबाने लगा, आरोपी पालाराम ने मीरा को लज्जित व अपमानित करने के आशय से सिर पर ओढना उतार कर फैंक दिया फिर जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। दोनो आरोपीगण ने मारपीट की, मारपीट में मीरा के गले व गोडे पर अंदरूनी चोटें आई, इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना फेफाना में एफ.आई.आर. 105/2024 दर्ज हुई जिसमे बाद अनुसंधान मामला अदमवकू झूठ में मानते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अंतिम प्रतिवेदन पर नाराजगी याचिका प्रस्तुत करने हेतु कई अवसर देने के उपरांत दिनांक 08.05.2026 को अंतिम अवसर दिया गया, परंतु आज दिनांक को भी परिवादी द्वारा नाराजगी याचिका प्रस्तुत नहीं की गई। जिस पर अवसर समाप्त किया गया। अधिवक्ता परिवादी को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में बाद अनुसंधान इस आधार पर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि "मुस्तगीस हेतराम घटना दिनांक 15.06.2024 को प्रातः करीब 6 बजे कथित आरोपी मांगीलाल व पालाराम के	

घर के दरवाजे के ठीक सामने बनी नाले की पुलिया पर आकर बैठा था, उस समय मांगीलाल की पत्नी वगैरह घर से बाहर गली में झाडू निकालने आई तो उसे बैठे देखकर अपने पति को बताया तब कथित आरोपी मांगीलाल ने मुस्तगीस को सुबह सुबह वहां झाडू निकालने के लिए खड़ा होने की बात कही तब मुस्तगीस की पत्नी मीरा व आस पड़ौसी मदनलाल व जिन्द्रपाल एवं कथित आरोपी मांगीलाल का भाई कथित आरोपी पालाराम वगैरह आ गए, जिन्होंने मुस्तगीस को समझाकर उसके घर भेज दिया। मुस्तगीस हेतराम के कथित आरोपीगण मांगीलाल, पालाराम वगैरह के घर के ठीक आगे नाले पर बनी पुलिया पर सुबह सुबह आकर बैठने के बारे में कथित आरोपी मांगीलाल ने मना किया जिससे नाराज होकर मुस्तगीस जोर जोर से बोलने लग गया व कथित आरोपीगण मांगीलाल व उसके भाई पालाराम के विरूद्ध बढ़ा चढ़ाकर आरोप लगाते हुए अपने व अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने, लज्जा भंग करने के आशय से अपनी पत्नी के सिर से ओढना उतारने, जेब से डायरी जिसमे दो हजार रूपए निकालने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवा दिया जो अनुसंधान से झूठा दर्ज करवाना पाया गया है।" उक्त अनुसंधान के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा दौराने अनुसंधान दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर शामिल पत्रावली की, जबकि उक्त अनुसंधान के खण्डन में परिवादी पक्ष द्वारा न तो नाराजगी याचिका प्रस्तुत की गई एवं न ही किसी प्रकार की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई, जो कि उसके एफ.आई.आर के तथ्यों का समर्थन करती हो। इस प्रकार पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद तमाम अनुसंधान सामग्री, अनुसंधान अधिकारी द्वारा अंतिम प्रतिवेदन में प्रस्तुत आधारों से संतुष्ट होते हुए कथित आरोपी मांगीलाल व अन्य के विरूद्ध अपराध धारा 323, 341, 354, 382, 506, 34 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(S), 3(2)(Va) एससी/एसटी एक्ट अथवा अन्य किसी अपराध में आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ किए जाने के कोई आधार प्रथम दृष्ट्या दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। ऐसे में अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू झूठ नतीजा में स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अनुसंधान अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एफ.आर. को स्वीकार किया जाता हैं। केसडायरी विशिष्ट अभियोजन अधिकारी को लौटायी जावे तथा पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार में प्रेषित हो।

ह0/-
(सुनीता बेड़ा)
विशिष्ट न्यायाधीश,
(एस.सी/एस.टी प्रकरण)
हनुमानगढ़

मूल से मिलान किया गया।

VINAY KUMAR
Digitally signed by VINAY KUMAR
Date: 2026.06.04 08:54:26 +0530